नम्बर व तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1 खैरदीन 2 आलम पि. अहमद 3 इस्लाम 4 कुरबान अली 5 बाबू खान 6 इस्माइल खान 7 रहमान खान पि. काबुल 8 बीजा पत्नी काबुल 9 ताहिर खान 10 असगर अली 11 इस्लाम पि. रसूल खान नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सत्तायान पत्नी रसूल खान 12 सत्तायान पत्नी रसूल खान 13 शेरखान 14 सादर खान पि. सच्चू जातिधाम मुसलमान निवासी ईटादिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।	बनाम	1 सलाम पुत्र दीनमोहम्मद 2 मीसा पुत्र मोहम्मद 3 करणा पुत्र आसार 4 मास्टर पुत्र मुराद 5 सलीम पुत्र करीम 6 सलीम 7 अब्दुल 8 सलीम 9 जमील पि. नूरा जाति मुसलमान निवासी ईटादिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 10 तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 293 / 2022 दिनांक 07.10.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ पटवार हल्का इटादा के मौजा इटादिया के खेत खसरा संख्या 752 / 391 रकबा 39.5215 हैक्ट. खसरा संख्या 754 / 391 रकबा 1.3840 हैक्ट. खसरा संख्या 428 रकबा 7.6324 कुल रकबा 48.5379 किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

(रामजीभाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 2002 – 08 दिनांक 07/10/22

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार धनाऊ।
2. प्रार्थीगण खैरदीन पुत्र अहमद वगैरह।
3. विप्रार्थीगण सलाम पुत्र दीनमोहम्मद वगैरह।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / बीजराड / धोरीमन्ना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 293 / 2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

खैरदीन वगैरा बनाम सलाम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री शाकर खान एच.

निर्णय दिनांक – 07.10.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील धनाऊ पटवार हल्का इटादा के मौजा इटादिया के खेत खसरा संख्या 752 / 391 रकबा 39.5215 हैक्ट. खसरा संख्या 754 / 391 रकबा 1.3840 हैक्ट. खसरा संख्या 428 रकबा 7.6324 कुल रकबा 48.5379 किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगडी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील धनाऊ पटवार हल्का इटादा के मौजा इटादिया के खेत खसरा संख्या 752 / 391 रकबा 39.5215 हैक्ट. खसरा संख्या 754 / 391 रकबा 1.3840 हैक्ट. खसरा संख्या 428 रकबा 7.6324 कुल रकबा 48.5379 किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील / स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार धनाऊ को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्र[illegible]ला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2022 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 16:59:10 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा